उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-136/2017/1367/92-2-17-45जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 04 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-महोबा द्वारा वर्ष 2007-08 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत चरही के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1254/62-3-2008-42आरई/08, दिनांक 21.04.2008 द्वारा श्री सी0बी0 प्रशान्त, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालांतर में श्री सी0बी0 प्रशान्त द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हेतु दिनांक 31.08.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र शासन में उपलब्ध कराया गया। शासन स्तर पर श्री प्रशान्त के प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रदान की गयी। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री सी0बी0 प्रशान्त के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21.04.2008 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-136/2017/1367(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री सी0बी0 प्रशान्त, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in